रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240470 CG-DL-E-23112022-240470

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5196] No. 5196] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/ अग्रहायण 1, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/ AGRAHAYANA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

का.आ. 5424(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2701(अ) तारीख 13.06.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के चाकुर एंवम अहमदपुर तालुका लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 361 के कि.मी. 505.550 कि.मी. से 567.000 कि. मी. तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05.07.2022" को " पुण्यनगरी " और " लोकमत समाचार " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

7755 GI/2022 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 361 के कि.मी.505.550 से कि.मी. 567.000 तक (गांजुर से रालगा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विविरण।

अनुसूची

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: लातुर									
क्रमिक	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम				
संख्या				क्षेत्रफल					
				(हेक्टेयर में)					
1	2	3	4	5	6				
	तालुक का नाम: अहमदपुर								
	गांव का नाम: मरशिवणी (तांडा)								
					संभाप्पा शिवपूजे सुहास बाबुराव				
1	15	निजी	कृषि	0.03	बावसकर				
					(15)				
	गांव का नाम: शिरुर (ताजबंद)								
	313	निजी	कृषि	0.0425	हनमंत रामराव डोंगरे				
2					(313)				
	तालुक का नाम: चाकुर								
	गांव का नाम: अलगरवाडी								
1	162	निजी	कृषि	0.0541	उमाकांत रामलिंगप्पा मळभागे				
					(162)				
2	174	निजी	कृषि	0.0711	उषा शिवकुमार कोरे				
					(174)				
			कुल	0.1977					

[फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015/3D1] राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2022

S.O. 5424(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2701 (E), dated 13.06.2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) issued under sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc),maintenance, management and operation of National Highway No 361 on the stretch of land from Km. 505.550 to Km. 567.000 (Ganjur to Ralga Section) in Chakur & Ahmadpur Taluka in District of Latur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Punyanagari" and "Lokmat Samachar "both dated 05.07.2022, under sub- section (3) of section 3(A) of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3(D) of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 505.550 Km. 567.000 (Ganjur to Ralga Section) of National Highway - 361 in the State of Maharashtra.

State:								
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.			
1	2	3	4	5	6			
	Taluk: Ahmadpur							
	Village: Marshivani							
1	15	Private	Agricultural	0.03	Rajeshvar Sambhappa Shipuje Suhas Baburao Bavaskar 15			
	Village: Shirur Tajband							
2	313	Private	Agricultural	0.0425	Hanumant Ramrao Dongre 313			
	Taluk: Chakur							
	Village: Algarwadi							
1	162	Private	Agricultural	0.0541	Umakant Ramlingappa Malbhange			

2	174		0.0711 0.1977	174
				Usha Shivkumar Kore
				162

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3D1]
RAJESH GUPTA, Director